

प्रेषक,

डा० राजनीश दुबे,  
प्रमुख सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

विकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,  
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय- राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/विकित्सा विश्वविद्यालयों में एम०बी०बी०एस०

/बी०डी०एस०/स्नातकोत्तर/पी०जी० डिप्लोमा एवं सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों से अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित बाण्ड भरवाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम०ई०-३/2017/457 दिनांक 22.06.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में विकित्सकों की कमी के दृष्टिगत राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/विकित्सा विश्वविद्यालयों में एम०बी०बी०एस० /बी०डी०एस०/स्नातकोत्तर/पी०जी० डिप्लोमा एवं सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले छात्रों से अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित बाण्ड भरवाने के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवर्त नीति निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

1. प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/संस्थानों/विकित्सा विश्वविद्यालयों में स्नातक (एम०बी०बी०एस०)/बी०डी०एस०/स्नातकोत्तर/पी०जी० डिप्लोमा पाठ्यक्रमों एवं सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों से अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित एपीमेन्ट बाण्ड (प्रारूप संलग्न) भरवाने के सम्बन्ध में तालिका में उल्लिखित विवरणानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय:-

क्र०	पाठ्यक्रम	बाण्ड की अवधि	बाण्ड की धनराशि	सेवा का स्थान
1	स्नातक (एम०बी०बी०एस०/बी०डी०एस०)	02 वर्ष	रु० 10.00 लाख	महानगरों को छोड़कर अन्य जनपदों में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेजों में नॉन पी०जी० जॉआर० के रूप में तथा विकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक केन्द्र में संविदा विकित्सा अधिकारी के रूप में।
2	स्नातकोत्तर (एम०डी०/एम०एस०/एम०डी०एस०/पी०जी० डिप्लोमा पाठ्यक्रम)	02 वर्ष	रु० 40.00 लाख (डिप्लोमा हेतु) रु० 20.00 लाख (पी०जी० डिप्लोमा /एम०डी०एस० हेतु)	महानगरों को छोड़कर राजकीय मेडिकल कालेजों में सीनियर रेजीडेंट अथवा संविदा प्रवक्ता तथा विकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित महानगरों को छोड़कर जिला विकित्सालयों अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में संविदा विशेषज्ञ विकित्सक के रूप में।

4134

Dr Singh

15/04/2019

M.D.

15/04/2019

15/04/2019

3	सुपर स्पेशियलिटी (डी० एम०/ एम०सी०एच०)	02 वर्ष	₹० 100.00 लाख	राजकीय मेडिकल कालेजों/ संस्थानों/ चिकित्सा विश्वविद्यालयों अथवा राज्य के जिला अथवा मण्डल चिकित्सालयों में संविदा प्रवक्ता अथवा संविदा सुपर स्पेशियलिटी विशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में।
---	---	---------	------------------	---

2. उक्त बाण्ड निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निष्पादित की जायेगी:-

- बाण्ड से विचलन की दशा में सम्बन्धित अभ्यर्थी (पी०एम०एच०एस० संवर्ग के एम०बी०बी०एस० डिग्रीधारी चिकित्साधिकारियों को छोड़कर) को बाण्ड की घनराशि प्रदेश सरकार को आदा करनी होगी। बाण्ड की घनराशि संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय/ संस्थान/ विश्वविद्यालय स्तर पर जामस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए प्रधानाचार्य/ निदेशक/ कुलसचिव के माध्यम से महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० द्वारा राजकीय कोषागार में जगा करायी जायेगी।
- बाण्ड से विचलन की दशा में यदि कोई अभ्यर्थी बाण्ड की घनराशि जगा नहीं करता, तो इसकी वसूली भू राजस्व की भाँति की जायेगी।
- ऐसे चिकित्सकों (एम०बी०बी०एस०/ बी०डी०एस०/ स्नातकोत्तर डिग्री धारक/ पी०जी० डिप्लोमा पाठ्यक्रम/ एम०डी०एस०) को वहीं परिलक्षियों तथा मासिक मानदेय प्रदान किए जायेंगे जैसा कि यथास्थिति नान पी०जी० जूनियर रेजीडेण्ट/ सीनियर रेजीडेण्ट अथवा वाक—इन इन्टरव्यू के माध्यम से प्राप्त संविदा चिकित्सकों को किए जाते हैं।
- सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सकों को संविदा के आधार पर मासिक मानदेय तथा परिलक्षियों निर्धारित करने की कार्यवाही नियमानुसार पृथक से की जायेगी।
- बाण्ड भरे जाने से किसी भी अभ्यर्थी को राजकीय सेवा अथवा राजकीय मेडिकल कालेजों/ संस्थानों/ चिकित्सा विश्वविद्यालयों में अनिवार्य रूप से सेवायोजित किए जाने का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होगा। शासन द्वारा यथावश्यक उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष ही उनको निर्धारित अवधि तक के लिए ही सेवायोजित किया जायेगा।
- राज्य सरकार द्वारा अभ्यर्थी के सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूर्ण किए जाने की तिथि से अधिकतम 03 माह की अवधि तक सम्बन्धित अभ्यर्थी को सेवायोजित न किए जाने की दशा में उनका बाण्ड रिलीज कर दिया जायेगा। यदि शासन अभ्यर्थी उच्चतर पाठ्यक्रम हेतु नियमानुसार चयनित हो जाता है तो तदनुसार उसके द्वारा किए गये अनुरोध के क्रम में बाण्ड रिलीज कर दिया जायेगा।
- अभ्यर्थी को आवश्यक मानदेय तथा परिलक्षियों का भुगतान सम्बन्धित विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जहाँ अभ्यर्थी सेवायोजित होगा, के द्वारा किया जायेगा।

- प्रत्यावृत्त द्वितीय राष्ट्र में द्वितीय जा भी एकाधार प्रदान बर्देह भी और भी ऐसीमेंट राष्ट्र में इकाधार करने द्वारा उन्हें संकेतित होना चाहिए/प्रेक्षण कालेज/सुनिश्चिती के लिए अधिकारी को विविध रिट्रॉ विषय द्वारा गवाई दिया जायेगा।
  - उक्त विदेशी का कार्डर्से तो अनुप्राप्त सुनिश्चित किया जाय।

प्राचीन भारतीय संस्कृत

मध्यांश  
(संगीत मुद्रा)  
प्रत्यक्ष लिपिः

www- / 71-2-2016-055791

- जीवितपै निर्माणकांत को सुनकर एवं जागरूकता कार्यकारी हैंतु प्रेरणा—

  - प्रगृह वाचन, यह मुख्यमानी जी, अस्त्र शासन।
  - स्टाक आविष्ट, प्रगृह वाचन, यह शासन।
  - प्रगृह वाचन, विभिन्नता साक्षात् एवं विविध कलापण विद्याएँ, यह शासन।
  - प्रगृह वाचन, विभिन्नता एवं जागरूकता विद्याएँ, उत्तम शासन।
  - कुलपती, विभिन्न विद्याएँ विश्वविद्यालय, उत्तम शासन।
  - कुलपती, यहाँ आशुविद्यालय विश्वविद्यालय, उत्तम शासन।
  - निर्देशक, एवं एक वाचन विभिन्नता विश्वविद्यालय, उत्तम शासन।
  - निर्देशक, एवं एक वाचन विभिन्नता विश्वविद्यालय, उत्तम शासन।
  - निर्देशक, प्रगृह विश्वविद्यालय विभिन्नता एवं विविध कलापण, नेहरा।
  - निर्देशक, याचार्य आशुविद्यालय विश्वविद्यालय, नेहरा।
  - प्रगृह वाचन, नानक वाचनीय विभिन्नता विश्वविद्यालय, उत्तम शासन।
  - सम्पन्न प्रगृह विभिन्नता विश्वविद्यालय, नेहरा। [उद्योग समितिविभाग, विभिन्न विभिन्नता विश्वविद्यालय, उत्तम शासन।]
  - विभिन्नता विश्वविद्यालय—एवं ॥।
  - पाठ्य वाचन।

प्राचीन ची

**कार्यालय ग्रहणादेशास्त्र विकास संस्था एवं प्रशिक्षण, उम्प्र०, लखनऊ।**



(३०८५ चुना)  
स्वास्थ्यमित्र